operating since 1976. The passenger train, called the Samjhauta Express, runs on Mondays and Thursdays on the Lahore-Attari-Lahore route. The frequency of the goods train is dependent on demand and unloading performance. Presently, there are around 20 to and fro goods trains operating between Amritsar and Lahore every month.

Bilateral relations with Russia

981. SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether during the recent visit of the Russian Prime Minister, Mr. Primakov to New Delhi, Government had observed a distinct turn-away of Russia from the US following the US-UK repeated air strikes on Iraq; and

(b) if so, what agreements and understanding for strengthening bilateral relations with Russia were reached during the visit?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) In the Joint Press Statement issued at the conclusion of the visit to India in December 1998 of the Prime Minister of the Russian Federation, H.E. Mr. Y.M. Primakov, India and Russia deplored the missile strikes against Iraq. They strongly urged resumption of diplomatic efforts under UN auspicies.

(b) The following bilateral documents were signed during the visit; Extradition Treaty; Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; Consular Convention; Long Term Agreement on Military-Technical Cooperation upto the year 2010; Joint Document on Development of Trade, Economic, Industrial, Financial, Science and Technology Cooperation; Agreement on Cooperation in the field of Communications; Air Transport Agreement.

भारत पर आर्थिक प्रतिबंध

982. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोखरण में भारत द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने के उपरांत किन-किन देशों ने भारत पर क्या-क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाये थे;

(ख) अब तक किन-किन देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों में क्या-क्या छूट दी है; और

(ग) ऐसे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए भारत ने क्या-क्या कूटनीतिक और राजनैतिक प्रयास किए है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम की धारा 102 के अन्तर्गत, जिसे ग्लेन संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमरीका ने कतिपय प्रतिबन्धात्मक आर्थिक उपाय लगाए थे। कनाडा, जापान, जर्मनी, नार्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैण्ड द्वारा घोषित प्रतिबन्ध आमतौर पर विकास सहायता अथवा रियायती ऋणों से सम्बध थे। इनमें से कुछ देशों ने इन उपायों में से मानवता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य और बुनियादी मानव आवश्यक्ताओं से जुड़ी सहायता पर भिन्न-भिन्न छूट दे दी है। जुलाई 1998 में अमरीकी कांग्रेस ने 1998 के कृषि निर्यात राहत अधिनियम नामक एक संशोधन पारित किया जिसमें भोजन, दवाइयों और अन्य कृषि संबंधी जिन्सों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता को ग्लेन संशोधन की परिधि से बाहर कर दिया। नवम्बर, 1998 में अमरीकी प्रशासन ने अमरीका के तीन संस्थानों अर्थात एक्सिम बैंक, ओवरसीज प्राइवेट निवेश कारपोरेशन और ट्रेड डेवलपमेन्ट अथारिटी के कार्यक्रमों से सम्बद्ध उपायों में 21 अक्तूबर, 1999 तक आंशिक छूट देने की घोषणा की है। अमरीकी प्रशासन ने अमरीकी बैंकों द्वारा ऋण देना भी बहाल किया है और अपना अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः शुरू किया है। इसके अलावा 18 फरवरी, 1999 को अमरीका ने आन्ध्र प्रदेश बिजली पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक ऋण के अनुमोदन में बाधा नहीं पहुंचाई है।

(ग) सरकार ऐसे सभी प्रतिबंधों को अनौचित्यपूर्ण और अहितकर मानती है और उसका यह विचार है कि इन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए। भारत संबंधित मसलों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत में लगा हुआ है।